

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.18(14)एम.ई./ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक: 8/7/2021

परिपत्र

वित्त विभाग को चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग तथा निदेशालय से एकल पत्रावली के माध्यम से विभिन्न विभागीय प्रस्ताव प्रेषित किए जा रहे हैं। इस कारण कुछ प्रकरणों में वित्त विभाग को दोहरे प्रस्ताव प्रेषित हुए हैं।

उक्त क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि विभागीय प्रस्ताव जिनमें पदों के नवीन सृजन/कमोन्नत/कमावनत/विशिष्टता परिवर्तन हेतु वित्त विभाग की सहमति आवश्यक है, वे पत्रावलियाँ आवश्यक रूप से चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग के माध्यम से ही वित्त विभाग को प्रेषित की जाएगी।

८१८
8/7/2021
(सुनील शर्मा)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक (शैक्षणिक) निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग।

24
(अशोक कुमार सोनी)
शासन उप सचिव